न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/117/2022 दायर दिनांकः— 13/05/2022

जीसीएमएस नं0:— 2022/558 निर्णय दिनांकः— 24/11/2025

बउनवान

1. कमला पुत्री रूपचन्द जाति ब्राहमण निवासी तसई तहसील कठूमर हालवासी बल्लाना तहसील व जिला अलवर
2. कमलेश उर्फ निगरी पुत्री रूपचन्द जाति ब्राहमण निवासी तसई तहसील कठूमर हाल 75 सेक्टर 3 पुष्प विहार नई दिल्ली
3. अनिता उर्फ पप्पी पुत्री रूपचन्द जाति ब्राहमण निवासी तसई तहसील कठूमर हालवासी बल्लाना तहसील व जिला अलवर

सायलान

बनाम

1. मु0 बन्जो देवी वेवा भगवानदास जाति ब्राहमण निवासी तसई तहसील कठूमर जिला अलवर
2. तहसीलदार कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः— श्री भीमसिह गुर्जर एड0—अधिवक्ता सायलान
श्री सुभाष कठूमर शर्मा—एडवोकेटस— अधिवक्ता गैरसायल

—::निर्णय::—

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 187, 188, 189, 190 ग्राम मानपुर तहसील कठूमर में स्थित है जो साविक खसरा नम्बर 142, 95 मिन से बने है। सायलान मृतक रूपचन्द की पुत्रियां है जो मृतक की समस्त चल वो अचल सम्पत्ति की काविज

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0

जायदाद वारिसान है। सायलान के पिता रूपचन्द मूल रूप से ब्रहमपुरा तहसील पलन्दरी जिला पूँछ (जम्मू कश्मीर) के निवासी थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हिन्दु मुश्लिम झगडे में हुये नरसंहार से पीडित होकर वहां से अमीरचन्द नामक दल के साथ ग्राम मानपुर में विस्थापित होकर आये। जम्मू कश्मीर से पलायन कर पीडित विस्थापित परिवारों की सहायतार्थ व उनके जीवनकाल हेतु राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिये 16 वीघा जमीन आवण्टित की थी जिसमें सायलान के पिता को विवादित आराजी अलोट हुई थी जिस वावत अलोटमेंण्ट के राजस्व रिकार्ड वावत दस्तावेज वाद पत्र/दर0 हाजा के साथ पेश किये जा रहे है। गैरसायला भी वहां से विस्थापित होकर यहां आई थी जिसको 16 वीघा जमीन ग्राम तसई में अलोट हुई थी जिस पर गैरसायला काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है। वक्त अलोट से ही विवादित आराजी पर सायलान के पिता काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तर0 प्रतिवादी सं0 3 ला0 19 को गैरसायलान के पिता व सायलान ने जरिए रजिस्टर्ड वेयनामा बेचान कर दिया। जिस पर तर0 प्रतिवादी0 काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी से गैरसायला का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। गैरसायला तो उसको अलोट हुई 16 वीघा जमीन ग्राम तसई पर काविज रहकर काश्त कर रही है जव तक सायलान के पिता रूपचन्द जीवित रहे विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर सायलान वहैसियत खातेदार के काविज रहकर काश्शत करती चली आ रही है। गैरसायला सं0 1 चतुर व चालाक किस्म की महिला है जिसने विवादित आराजी में राजस्व कर्मचारियान से मिलकर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से विना हमको सूचना दिये व विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व विना मौका एंव कब्जे की जांच किये ही गैरसायला सं0 1 ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत रूप से दर्ज करा लिया जवकि गैरसायलान का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है और ना रहा है। विवादित आराजी में गैरसायला का नाम गलत तरीके से अलोटी दर्ज रहने से सायलान के हक व अधिकारों पर विपरीत असर पड़

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

छाया प्रति व अलोटमेंण्ट लेटर रूपचन्द व लेटर बन्जोदेवी का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः–विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के पिता रूपचन्द को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हिन्दु मुस्लिम झगडे में हुये नरसंहार से पीडित होकर वहां से अमीरचन्द दल के साथ ग्राम मानपुर में विस्थापित होकर आये थे पीडित परिवारों को सरकार द्वारा सहायतार्थ व उनके जीवनयापन के लिये प्रत्येक परिवार को 16 वीघा जमीन आवण्टित की थी जिसमें सायलान के पिता को विवादित आराजी अलौट की थी। सायलान के पिता रूपचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी कानूनी वारिस सायलान ही है जो विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रही है। जिस वावत अलोटमेंण्ट के राजस्व रिकार्ड वावत दस्तावेज वाद पत्र/द०० हाजा के साथ पेश किये हैं प्रतिवादनी/गैरसायला भी विस्थापित होकर यहां आई थी जिसको 16 वीघा जमीन ग्राम तसई में अलोट हुई थी। जिस पर गैरसायला काविज रहकर काश्त कर रही है लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से मौका कब्जा की जांच किये विना विवादित आराजी में गैरसायला का नाम गलत तरीके से अलोटी दर्ज कर दिया। हाल राजस्व रिकार्ड गलत है। जिस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैरसायला सायलाान के कब्जे काश्त में बाधा व व्यवधान पैदा करते है तथा सरकारी फीस जमा कराकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराकर रहन वय करने की धमकी देती है। गैरसायला को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
... (अलवर) राज०

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे। गैरसायला ने अपनी ओर से जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये साविक एंव हाल राजस्व रिकार्ड पेश किया है मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर 187, 188, 189, 190 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर साविक खसरा नम्बर 142, 95 मिन वाके ग्राम मानपुर से बनाये गये है। सायलान ने छाया प्रति अलोटमेंण्ट फार्म पेश किया है जिसमें खसरा नम्बर 142 रकवा 15 वीघा 2 विस्वा व खसरा नम्बर 95 मिन रकवा 17 विस्वा वाके ग्राम मानपुर वावत प्रार्थीयान के पिता रूपचन्द पुत्र चन्दूराम द्वारा अलौटमेंट किये जाने का आवेदन किया है तथा दूसरा अलोटमेंण्ट फार्म आराजी खसरा नम्बर 1330 रकवा 13 वीघा 2 विस्वा व खसरा नम्बर 1322, 1323, 1324, 1326, 1327 का 1/4 हिस्सा रकवा 3 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम मानपुर को गैरसायला द्वारा अलोटमेंण्ट करने का आवेदन किया है। दोनों फार्म अमीरचन्द ग्रुंप के है। इससे सावित है कि सायलान के पिता व गैरसायला को आवेदन पत्रों के अनुसार अलग अलग आराजी अलौट हुई है। गैरसायला के नाम उक्त आराजी कव कैसे दर्ज हुई विवादित आराजी पर किसका कब्जा है ये तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर ही निर्णीत किये जायेगें लेकिन विवादित आराजी पर प्रथम दृष्टा प्रार्थीयान का ही कब्जा सावित होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रथम दृष्टा केस का विन्दु सायलान के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलनः—विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैरसायला के नाम अलोटी दर्ज है। गैरसायला ने प्रार्थना पत्र का कोई जवाव भी पेश नही किया है यदि गैरसायला ने सरकारी राशि जमा कराकर विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराकर विवादित आराजी को दीगर लोगों को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

बेचान कर दिया तो सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—विवादित आराजी गैरसायला के नाम राजस्व रिकार्ड में अलोटी दर्ज है। यदि गैरसायला ने विवादित आराजी की सरकारी राशि जमा कराकर दीगर लोगों को बेचान कर दिया तो अपार हानि सायलान को होना संभव है। गैरसायला को पाबन्द किये जाने से किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। गैरसायला राजस्व रिकार्ड में तब्दली करा सकती है इससे वाद वहुलता भी बढेगी अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—::निर्णय::—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आ0 ख0 न0 187, 188, 189, 190 ग्राम मानपुर तहसील कठूमर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर